तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.111/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
28.7.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (राम कुमार सुन्देशा पुत्र श्री डायालाल माली, निवासी– कृष्णापुरी, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बालाजी शॉपिंग पोईन्ट, पेलेस रोड, सिरोही, जिला– सिरोही) अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (हेमन्त माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सुन्देशा एग्रो एण्ड ऑरगेनिक, कृष्णापुरी, मेन रोड, भरत मेटल के पास, सिरोही, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरूद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत द्वारा दिनांक 24.1.2023 को फर्म बालाजी शॉपिंग पोईन्ट, पेलेस रोड, सिरोही में प्रतिवादी हेमन्त माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चाय (Leelava Brand) का नमूना संख्या S-1992 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./151/Act/2023/194 दिनांक 11.2.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–2 (हेमन्त माली) ने इस न्यायालय में आज दिनांक 27.7.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 (राम कुमार सुन्देशा) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ। प्रतिवादी राम कुमार सुन्देशा को तीन बार आवाजें लगवाई गई, लेकिन उपस्थित नही हुआ। अतः प्रतिवादी राम कुमार सुन्देशा के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में प्रतिवादी हेमन्त माली को सुना गया। जिसने यह व्यक्त किया उसने अभी अभी काम चालू किया है तथा उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल के साथ अलग से एक लेबल टेग कर वांछित सूचना अंकित की गई थी, लेकिन उसके बावजूद खाद्य विश्लेषक, जोधपुर ने गलतरुप से मिथ्याछाप बताया है। अतः प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 24.1.2023 को फर्म बालाजी शॉपिंग पोईन्ट पेलेस रोड, सिरोही में प्रतिवादी राम कुमार सुन्देशा से दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ चाय (Leelava Brand) के पैक्ड पेकेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही कर उक्त खाद्य पदार्थ ......लगातार	

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:13:16 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.111/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

चाय (Leelava Brand) के नमूना संख्या S-1992 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./151/Act/2023/194 दिनांक 11.2.2023 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी राम कुमार सुन्देशा की फर्म बालाजी शॉपिंग पोईन्ट, पेलेस रोड, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (Leelava Brand) के पैक्ड पेकेटों को फर्म सुन्देशा एग्रो एण्ड ऑरगेनिक, कृष्णापुरी, सिरोही से क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी हेमन्त माली की फर्म है एवं उक्त खाद्य पदार्थ चाय (Leelava Brand) की पैकर व निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चाय (Leelava Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (Leelava Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी राम कुमार सुन्देशा पुत्र श्री डायालाल माली, निवासी– कृष्णापुरी, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बालाजी शॉपिंग पोईन्ट, पेलेस रोड, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 1,500/– (अक्षरे रुपये एक हजार पांच सौ मात्र) की एवं प्रतिवादी हेमन्त माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सुन्देशा एग्रो एण्ड ऑरगेनिक, कृष्णापुरी, मेन रोड, भरत मेटल के पास, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 1,500/– (अक्षरे रुपये एक हजार पांच सौ मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 05.9.2023 को पेश हो।

(के.आर. खोड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:13:16 IST
Reason: SelfAttested